संख्या-3/2016-163/चौदह-4-2016-500(7)/2015

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 28 जनवरी, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष-2015-16 में टोटल फारेस्ट कवर योजना के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रमुखवन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-767/36 बी-8 (टो0फा0क0) दिनांक 28.12.2015 एवं सं0-पी-831/36-बी-8(टो0फा0क0) दिनांक 14 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों केअधीन टोटल फारेस्ट कवर योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित छः जनपदों (लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा एवं बदायूँ) में कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-60 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्रथम अनुपूरक मॉग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 करोड़ (रू0 पॉच करोड़ मात्र) निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रू0 हजार में)

| लेखाशीर्षक | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|
| अनुदान संख्या-60 | |
| पूंजी लेखा- | |
| **4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-** | |
| 01-वानिकी | |
| 102-समाज तथा फार्म वानिकी | |
| 08-टोटल फारेस्ट कवर योजना | |
| 24-वृहत निर्माण कार्य | 50000 |
| **योग** | **50000** |

(रू0 पॉच करोड़ मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

3- प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाक घर खाता/डिपाजिट खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(मो0जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-163(1)/चौदह-4-2016 तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज,लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in